आवश्यक / महत्वपूर्ण

शिविर कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रांक /जि0पू0का0/कानपुर/कोविड–19/2020 दिनांक : 10–04–2020

नगर आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/
सचिव, के0डी0ए0/अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)/नोडल अधिकारी, केन्द्रीय कन्ट्रोल रूम/
अपर जिलाधिकारी (नगर)/अपर जिलाधिकारी (ना0आ0)
समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार,
कानपुर नगर।

अपर मुख्य सचिव, गृह एवं गोपन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या–782/एसीएस/2020 दिनांक 19 अप्रैल, 2020 के माध्यम से यह निर्देश दिये हैं कि समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं/एन0जी0ओ0, प्राइवेट संस्थाओं द्वारा वितरित किये जा रहे भोजन एवं राशन के संबंध में निम्नलिखित गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये :–

1. विभिन्न स्थानों पर स्वयंसेवी संस्थाओं/एन0जी0ओ0, प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चालित/स्थापित किचेन यथासम्भव अपने क्षेत्र के निकटतम कम्युनिटी किचेन के माध्यम से ही भोजन बंटवाना सुनिश्चित करें, तो बेहतर होगा।
2. इनके किचेन, जहां पर भोजन को पाया जा रहा है, उस स्थल से संबंधित थाना, तहसील एवं नगर निगम क्षेत्र में होने पर संबंधित जोनल आफिस में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराया जाय।
3. व्यक्तियों हेतु प्रतिदिन बनाई जा रही भोजन की संख्या एवं किस क्षेत्र में किस समय के मध्य भोजन का वितरण किया जायेगा, की सूचना पूर्व रात्रि तक जनपद के राहत कन्ट्रोल रूम तथा संबंधित थानों को अनिवार्य रूप से दी जाय।
4. यह उचित होगा कि वितरण के समय अधिकृत व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगें कि भोजन की गुणवत्ता अच्छी है। एन0जी0ओ0 यथासम्भव अपने क्षेत्र में रहने वाले किसी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को शामिल कर उनसे सत्यापन करा लें।
5. इन समस्त स्वयं सेवी संस्थाओं/एन0जी0ओ0, प्राइवेट संस्थाओं की मानीटरिंग प्रतिदिन जनपद के कन्ट्रोल रूम द्वारा थाना स्तर से निम्न बिन्दुओं पर किया जाये :–
   क– भोजन वितरित किये गये व्यक्तियों की संख्या।
   ख– भोजन में क्या दिया गया ,
6. इस हेतु सम्पूर्ण जनपद का रजिस्टर इंटीग्रेटेड कन्ट्रोल रूम में, तहसील स्तर पर सम्पूर्ण तहसीलों में तथा थाना स्तर पर समस्त थानों में कार्यरत समस्त स्वयं सेवी संस्थाओं/एन0जी0ओ0, प्राइवेट संस्थाओं का विवरण नियमित रूप से अनुरक्षित एवं अवलोकित किया जाये।

अतः आप से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करावें।

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

प्रतिलिपि : निम्न
1–आयुक्त महोदय, कानपुर मण्डल, कानपुर
2–डी0आई0जी0/एसएसपी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

Scanned with CamScanner